

राजस्थान राज्य - अधिनियम

राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963

राजस्थान
भारत

राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963

1964 का अधिनियम 1

- 20 मार्च 1964 को प्रकाशित
- 20 मार्च 1964 को प्रारंभ हुआ
- [यह इस दस्तावेज़ का 20 मार्च 1964 का संस्करण है।]
- [नोट: मूल प्रकाशन दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है और इस सामग्री को सत्यापित नहीं किया जा सका।]

राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 राजस्थान अधिनियम [संख्या 1, 1964](#) [9 मार्च, 1964 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति राजस्थान राजपत्र (अतिरिक्त) भाग 4-ए, दिनांक 20-3-1964 में प्रथम बार प्रकाशित हुई] राजस्थान राज्य में धन उधार देने के लेन-देन के विनियमन और नियंत्रण के लिए बेहतर प्रावधान करने हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बन जाए:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

- (1) इस अधिनियम को राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य तक है।
- (3) यह उस तारीख को लागू होगा [जिसे राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियुक्त कर सकती है।] [आरजीगजट भाग 4-सी (अतिरिक्त), दिनांक 1-9-1965 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा 1 अक्टूबर, 1965 से लागू किया गया।]

2. परिभाषाएँ.

इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,-

- (1) 'बैंक' से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (राजस्थान अधिनियम संख्या 6, 1993 द्वारा 9-12-1993 से प्रतिस्थापित) (केन्द्रीय अधिनियम X, 1949) में परिभाषित बैंकिंग कंपनी अभिप्रेत है, और इसमें भारतीय स्टेट बैंक तथा उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य बैंकिंग संस्था सम्मिलित है;
- (2) 'धन उधार देने का व्यवसाय' से तात्पर्य ऋण देने के व्यवसाय से है, चाहे वह किसी अन्य व्यवसाय से संबंधित हो या उसके अतिरिक्त हो;
- (3) 'पूंजी' से तात्पर्य उस धनराशि से है जिसे कोई साहूकार धन उधार देने के व्यवसाय में निवेश करता है;

(4) 'कंपनी' से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 1) की धारा 3 में परिभाषित कंपनी से है;

(5) 'सहकारी समिति' से तात्पर्य राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम IV, 1953) या सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (केन्द्रीय अधिनियम II, 1912) या सहकारी समितियों से संबंधित किसी अन्य राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकृत मानी गई समिति से है;

(6) 'ब्याज' में कोई भी राशि, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी ऋण के संबंध में या उसके बदले में साहूकार को भुगतान किए गए या देय मूलधन से अधिक शामिल है, लेकिन इसमें इस अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून के प्रावधानों के अनुसार लागत प्रभारों या व्ययों के लिए या उसके मद्दे साहूकार द्वारा वैध रूप से ली गई कोई राशि शामिल नहीं है;

(7) 'लाइसेंस' से इस अधिनियम के अधीन प्रदान किया गया लाइसेंस अभिप्रेत है;

(8) 'लाइसेंस शुल्क' का तात्पर्य किसी लाइसेंस के संबंध में देय शुल्क से है;

(9) 'ऋण' से तात्पर्य ब्याज पर दिया गया अग्रिम धन से है, चाहे वह धन के रूप में हो या वस्तु के रूप में, किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं-

(ए) किसी सरकारी डाकघर बचत बैंक या किसी अन्य बैंक या किसी कंपनी या सहकारी समिति में धन या अन्य संपत्ति जमा करना;

(बी) राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 या किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत या पंजीकृत समझी जाने वाली किसी सोसायटी या संघ को या उसके द्वारा, या उसके पास जमा किया गया ऋण, जो किसी सार्वजनिक, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य से संबंधित हो;

(सी) सरकार या सरकार द्वारा अधिकृत किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया ऋण;

(डी) सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और सहायता के लिए स्थापित निधि से सरकारी कर्मचारी को दिया गया ऋण, जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है;

(इ) सहकारी समिति द्वारा दिया गया ऋण;

(एफ) भविष्य निधि के किसी अभिदाता या जमाकर्ता को निधि में उसके जमा राशि में से निधि के नियमों के अनुसार दी गई अग्रिम राशि;

(जी) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का केंद्रीय अधिनियम IV) में परिभाषित अनुसार किसी बीमा कंपनी को या उसके द्वारा दिया गया ऋण;

(एच) बैंक को या बैंक द्वारा दिया गया ऋण;

(मै) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का केंद्रीय अधिनियम XXVI) में परिभाषित परक्राम्य लिखत के आधार पर वचन पत्र के अलावा किया गया अग्रिम;

(जे) धारा 27 और 29 के प्रयोजनों के सिवाय, (मै) किसी व्यापारी को ऋण, या (ii) वैध लाइसेंस रखने वाले साहूकार को ऋण;

(10) 'साहूकार' का अर्थ है- (मै) एक व्यक्ति या

(ii) एक अविभाजित हिंदू परिवार, या

(iii) कोई कंपनी (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी नहीं), निकाय या संस्था, उनमें से ऐसे लोगों को छोड़कर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई हो, यह समाधान हो जाने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, या] [राजस्थान अधिनियम संख्या 6, 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।]

(चतुर्थ) व्यक्तियों का एक गैर-निगमित निकाय, कौन या जो, - (ए) राज्य में धन उधार देने का व्यवसाय करता है; या (बी) व्यापारी या डीलर के रूप में कृषि माल से भिन्न माल को इस शर्त पर उधार देगा कि क्रेता द्वारा धारा 29 में निर्धारित दर से अधिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा, यदि विक्रय मूल्य का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है; या] [राजस्थान अधिनियम संख्या 6 सन् 1993 द्वारा 9-12-1993 से अंतःस्थापित] (सी) [राजस्थान अधिनियम सं. 6 सन् 1993 द्वारा 9-12-1993 से पुनः संख्यांकित] राज्य में उसके कारबार का मुख्य स्थान है;

(11) 'मूलधन' का अर्थ ऋण के संबंध में, देनदार को वास्तव में दी गई अग्रिम राशि है;

(12) 'भविष्य निधि' से तात्पर्य भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (केन्द्रीय अधिनियम X, 1925) में परिभाषित भविष्य निधि से है और इसमें उक्त अधिनियम में परिभाषित सरकारी भविष्य निधि और रेलवे भविष्य निधि शामिल है;

(13) 'मान्यता प्राप्त भाषा' का अर्थ है- (मै) हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, या (ii) अंग्रेजी में, यदि देनदार लिखित रूप में ऐसा चाहे, या (iii) जहां दोनों पक्ष एक ही भाषा बोलते हैं, वह भाषा;

(14) 'रजिस्टर' से तात्पर्य धारा 4 के अधीन रखे गए साहूकारों के रजिस्टर से है;

(15) 'वाद जिस पर यह अधिनियम लागू होता है' का तात्पर्य किसी ऐसे वाद या कार्यवाही से है- (ए) अधिनियम के लागू होने की तारीख के पश्चात लिए गए ऋण की वसूली के लिए; या (बी) उक्त तारीख से पहले या उसके बाद दिए गए किसी ऋण के संबंध में, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के पश्चात ली गई किसी प्रतिभूति या किए गए किसी करार के प्रवर्तन के लिए; या (सी) उक्त तारीख से पहले या उसके बाद दिए गए किसी ऋण के संबंध में, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के पश्चात दी गई किसी प्रतिभूति के मोचन के लिए;

(16) 'व्यापारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपने व्यवसाय के नियमित क्रम में माल या अन्य संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, खरीदता और बेचता है, और इसमें शामिल हैं- (ए) थोक या खुदरा व्यापारी, (बी) एक कमीशन एजेंट, (सी) एक दलाल, (डी) एक विनिर्माता, (इ) एक ठेकेदार, और (एफ) एक फैक्ट्री मालिक, लेकिन इसमें कोई कारीगर या ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो अपने कृषि उत्पाद या मवेशियों को बेचता है या अपने उपयोग के लिए कृषि उत्पाद या मवेशियों को खरीदता है। स्पष्टीकरण.- खंड (16) के प्रयोजनों के लिए 'कारीगर' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों में किसी एक दिन विनिर्माण प्रक्रिया में दस से अधिक कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है।

3. रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति।

महारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार और साहूकारों के सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त करने की शक्ति-राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए महारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार और साहूकारों के सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और वे क्षेत्र परिभाषित कर सकेगी, जिनके भीतर ऐसा प्रत्येक अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

4. साहूकारों का रजिस्टर।

1. सहायक रजिस्ट्रार का रजिस्टर - प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रार अपने अधिकार क्षेत्र के लिए साहूकारों का रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखेगा जैसा कि विहित किया जाए; परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले किसी क्षेत्र में धारा 49 द्वारा निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अधीन रखा

गया कोई रजिस्टर, जहां तक वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के अधीन रखा गया समझा जाएगा।

5. साहूकारों को लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर तथा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही साहूकारी का कारोबार करना होगा।

धारा 49 में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी साहूकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात्, उस क्षेत्र के सिवाय जिसके लिए उसे अनुज्ञप्ति दी गई है और ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तों और निबंधनों के अनुसार ही साहूकारी का कारोबार करेगा, अन्यथा नहीं।

6. लाइसेंस के अनुदान या नवीकरण के लिए साहूकार द्वारा आवेदन।

(1) प्रत्येक साहूकार उस क्षेत्र के सहायक रजिस्ट्रार को लाइसेंस प्रदान करने के लिए विहित प्ररूप में आवेदन करेगा, जिसकी सीमाओं के भीतर वह स्थान स्थित है, जहां वह साहूकारी का कारोबार करने का आशय रखता है, या यदि वह उस क्षेत्र में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार करने का आशय रखता है, तो ऐसे कारोबार का मुख्य स्थान स्थित है।

(2) ऐसे आवेदन में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, नाम-(ए) वह नाम जिससे ऐसा साहूकार व्यवसाय चलाने का इरादा रखता है और उस व्यक्ति का नाम जिसे व्यवसाय के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार माना जाना प्रस्तावित है; (बी) यदि आवेदन निम्नलिखित द्वारा या उसकी ओर से है- (मैं) कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का नाम और पता; (ii) अविभाजित हिंदू परिवार, ऐसे परिवार के प्रबंधक और वयस्क सह-भागीदारों के नाम और पते; (iii) कंपनी, उसका प्रबंधन करने वाले निदेशकों, प्रबंधक या प्रमुख अधिकारी के नाम और पते; (चतुर्थ) व्यक्तियों का एक गैर-निगमित निकाय, ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते; (सी) राज्य में धन-उधार देने के कारोबार का क्षेत्र तथा स्थान या मुख्य स्थान; (डी) राज्य में किसी अन्य स्थान का नाम जहां धन-उधार देने का कारोबार किया जाता है या किया जाना आशयित है; (इ) क्या आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ने स्वयं, या किसी अविभाजित हिंदू परिवार के किसी वयस्क सहदायिक या कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक या प्रधान अधिकारी या गैर-निगमित निकाय के किसी सदस्य ने, जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया गया है, आवेदन की तारीख से ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य में या तो व्यक्तिगत रूप से या साझेदारी में या किसी अन्य सहदायिक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से और चाहे उसी नाम से या किसी अन्य नाम से धन-उधार देने का कारोबार किया है; (एफ) पूंजी की कुल रकम जिसे ऐसा व्यक्ति उन वर्षों में धन उधार देने के व्यवसाय में निवेश करने का इरादा रखता है जिनके लिए आवेदन किया गया है; (जी) यदि वे स्थान जहां धन-उधार देने का कारोबार किया जाना है, एक से अधिक हैं, तो ऐसे प्रत्येक स्थान पर कारोबार के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों के नाम; (एच) अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(3) आवेदन लिखित रूप में होगा और हस्ताक्षरित होगा, -(ए) (मैं) यदि आवेदन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा; (ii) यदि आवेदन अविभाजित हिंदू परिवार की ओर से किया गया है, तो ऐसे परिवार के प्रबंधक द्वारा; (iii) यदि आवेदन किसी कंपनी या अनिगमित निकाय द्वारा किया जाता है, तो प्रबंध निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसका भारत में उसके मुख्य व्यवसाय स्थान या उस क्षेत्र में उसके व्यवसाय स्थान पर नियंत्रण है, जिसमें वह व्यवसाय

करना चाहता है; या(बी) इस निमित्त व्यक्तिगत साहूकार या परिवार या कंपनी या गैर-निगमित निकाय, जैसा भी मामला हो, द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा अधिकृत एजेंट द्वारा।

(4) आवेदन के साथ एक हजार रुपए की प्रतिभूति राशि तथा निम्नलिखित दरों पर अनुज्ञप्ति फीस संलग्न होगी :-

(क) यदि वह स्थान जहाँ पर व्यवसाय है धन उधार देने का कार्य एक से अधिक नहीं किया जा सकता।	रु. 15/-
(ख) यदि धन उधार देने का व्यवसाय करना है क्षेत्र की सीमाओं के भीतर एक से अधिक स्थानों पर किया गया रजिस्ट्रार का...	मुख्य व्यवसाय स्थान के लिए लाइसेंस हेतु 15 रु प्रत्येक स्थान के लिए लाइसेंस हेतु 6 रुपये का शुल्क

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थान" का तात्पर्य धन-उधार देने के कारोबार के संबंध में, वह दुकान या पता या स्थान से है, जहां पर धन-उधार देने वाला अपना धन-उधार देने का कारोबार करता है।

(5) इस धारा के अधीन देय फीस निर्धारित तरीके से दी जाएगी और उसे वापस नहीं किया जाएगा, भले ही लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया हो या आवेदन वापस ले लिया गया हो।

(6) इस अधिनियम के अधीन पहले दी गई अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी अवधि की समाप्ति से एक मास के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहायक रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में और विहित विशिष्टियां देते हुए किया जाएगा; [परन्तु जहां ऐसा आवेदन इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है, वहां उसके साथ विलम्ब शुल्क भी संलग्न किया जाएगा, जिसकी गणना लाइसेंस फीस की रकम को विलम्ब के महीनों की संख्या से गुणा करके की जाएगी; परन्तु यह और कि लाइसेंस ऐसी समाप्ति के तीन मास के पश्चात रद्द किया जा सकेगा।] [राजस्थान अधिनियम संख्या 6 सन् 1993 द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 9-12-1993 से।]

(7) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इसके उपबंध, जहां तक हो सके, अनुज्ञप्तियों के नवीकरण और नवीकृत अनुज्ञप्तियों पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे क्रमशः अनुज्ञप्तियों के अनुदान और मूलतः अनुदानित अनुज्ञप्तियों पर लागू होते हैं।

(8) जहां किसी साहूकार को दी गई अनुज्ञप्ति खो जाए, नष्ट हो जाए या फट जाए या अन्यथा ऐसी रीति से विरूपित हो जाए कि वह पढ़ने योग्य न रहे, वहां साहूकार विहित रीति से ऐसी फीस का भुगतान करके अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकेगा, जो विहित की जाए।

7. आवेदन की जांच एवं निपटान।

(1) (क) धारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर सहायक रजिस्ट्रार ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, ऐसे प्ररूप में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाएं, अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा और ऐसे अनुज्ञप्तिधारक का नाम धारा 4 के अधीन उसके द्वारा संधारित रजिस्टर में प्रविष्ट कर सकेगा। [राजस्थान अधिनियम संख्या 6 सन् 1993 द्वारा, 9-12-1993 से प्रतिस्थापित।] (बी) यदि आवेदन रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एक से अधिक व्यवसाय स्थानों के संबंध में है, तो ऐसे प्रत्येक स्थान के संबंध में आवेदक और ऐसे स्थान पर व्यवसाय के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के नाम पर पृथक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

(2) यदि आवेदन में राज्य के भीतर किसी स्थान पर धन उधार देने का व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस देने का अनुरोध भी शामिल है, जो उस सहायक रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है जिसने धन उधारदाता के व्यवसाय के मुख्य स्थान के संबंध में लाइसेंस दिया था, तो सहायक

रजिस्ट्रार आवेदन और दी गई लाइसेंस की प्रतियां अधिकार क्षेत्र वाले सहायक रजिस्ट्रार को भेजेगा जो आवेदन के संबंध में कोई जांच करने पर धारा 6 में प्रदान की गई लाइसेंस फीस के भुगतान पर लाइसेंस दे सकता है।

8. लाइसेंस देने से इंकार करने के आधार.

(1) निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर लाइसेंस देने से इनकार नहीं किया जाएगा:-
(ए) आवेदक, या कोई भी व्यक्ति जो साहूकार के रूप में उसके व्यवसाय के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है या जिम्मेदार होने का प्रस्ताव है, लाइसेंस रखने से अयोग्य है; (बी) आवेदक ने लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के संबंध में इस अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है; (सी) आवेदक ने इस अधिनियम की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में जानबूझकर चूक की है या जानबूझकर उल्लंघन किया है; (डी) इस बात का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक या उसके धन-उधार देने के व्यवसाय के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार या जिम्मेदार होने के लिए प्रस्तावित कोई व्यक्ति-(मैं) धन उधार देने के व्यवसाय के संचालन में या उससे संबंधित किसी धोखाधड़ी या बेईमानी में जानबूझकर भाग लिया या उसमें मिलीभगत की, या (ii) अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी गई है, जिसमें कोई जुर्माना या जुर्माना शामिल नहीं है; परन्तु राज्य सरकार किसी भी समय विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ विहित फीस लेकर इस उपधारा (घ) (ii) के अधीन किसी निरर्हता को उस आदेश के बाद बीत चुके समय और उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन वह आदेश दिया गया था या उस दोषसिद्धि के बाद बीत चुके समय को और अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हटा सकेगी।

(2) [सहायक रजिस्ट्रार] [राजस्थान अधिनियम सं. 6 सन् 1993 द्वारा, 9-12-1993 से प्रतिस्थापित] उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने के पूर्व आवेदक को आवेदन के समर्थन में साक्ष्य, यदि कोई हो, पेश करने का तथा यह कारण दर्शित करने का कि अनुज्ञप्ति देने से इंकार क्यों न किया जाए, युक्तियुक्त अवसर देगा तथा अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य तथा ऐसे इंकार के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने वाले सहायक रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील होगी और वह उस तारीख से साठ दिन के भीतर की जा सकेगी, जिसको आदेश आवेदक को संसूचित किया गया था /

(4) ऐसी अपील पर रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा /

9.

[सहायक रजिस्ट्रार की] [राजस्थान अधिनियम सं. 6 सन् 1993 द्वारा 9-12-1993 से प्रतिस्थापित] अनुज्ञप्ति रद्द करने की शक्ति।

(1) [सहायक रजिस्ट्रार] [राजस्थान अधिनियम संख्या 6 सन् 1993 द्वारा प्रतिस्थापित, 9-12-1993 से] किसी लाइसेंस की अवधि के दौरान उसे लिखित आदेश द्वारा इस आधार पर रद्द कर सकेगा कि जिस व्यक्ति को वह लाइसेंस दिया गया था, वह किसी ऐसे कार्य या आचरण का दोषी रहा है जिसके लिए उसने धारा 8 के अधीन उसे लाइसेंस देने से इंकार किया हो सकता था और जो लाइसेंस देने के समय उसके ध्यान में नहीं लाया गया था।

(2) उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस रद्द करने से पूर्व सहायक रजिस्ट्रार लाइसेंसधारी को लिखित में सूचना देगा और ऐसी जांच कर सकेगा, जो आवश्यक हो /

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द करने वाले सहायकरजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील रजिस्ट्रार को की जा सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी को आदेशसंसूचित होने की तारीख से साठ दिन के भीतर की जा सकेगी।

(4) ऐसी अपील पर रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा /

10. लाइसेंस की अवधि.

- कोई लाइसेंस उसके जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उस वर्ष की 31 मार्च तक जिसमें उसकी शर्तें समाप्त होनी हैं, जो भी पहले हो, वैध होगा। [राजस्थान अधिनियम संख्या 6 सन् 1993 द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 9-12-1993 से] परन्तु जब किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त कर लिया गया हो, तो अनुज्ञप्ति, आवेदन के अंतिम रूप से निपटारे तक, वैध समझी जाएगी।

11. लाइसेंस न रखने वाले साहूकार द्वारा वाद खारिज किया जाना। [राजस्थान अधिनियम संख्या 13 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।]

(1) जहां कोई वाद, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, किसी साहूकार द्वारा दायर किया गया है और वह न्यायालय, जिसमें वह दायर किया गया है, इस बात से संतुष्ट है कि जिस समय ऋण या उसका कोई भाग, जिससे वाद संबंधित है, दिया गया था, साहूकार के पास वैध लाइसेंस नहीं था, वहां वह दावे के गुणदोष पर विचार किए बिना वाद को तत्काल खारिज कर देगा और ऋण का प्रतिसंदाय किए बिना, यदि कोई प्रतिभूति है तो उसे वापस करने का आदेश देगा।

(2) इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगी- (ए) राजस्थान साहूकार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारंभ की तारीख को किसी न्यायालय में लंबित वाद, जिनका निपटारा ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान विधि के अनुसार किया जा सकेगा; (बी) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले किसी साहूकार द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में मुकदमे; और (सी) किसी साहूकार की संपत्ति को मुक्त करने के लिए वार्ड न्यायालय या किसी शासकीय समनुदेशिनी या रिसीवर या प्रशासक या दिवालियेपन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी न्यायालय या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 1) के अधीन किसी परिसमापक की शक्तियां।]

12.

[छोड़ा गया].

13. लाइसेंस रद्द करने के लिए आवेदन।

(1) कोई भी व्यक्ति, लाइसेंस की अवधि के दौरान, किसी साहूकार को जारी किए गए लाइसेंस को इस आधार पर रद्द करने के लिए सहायक रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा कि ऐसा साहूकार किसी ऐसे कार्य या आचरण का दोषी है जिसके लिए सहायक रजिस्ट्रार धारा 8 के अधीन लाइसेंस देने से इंकार कर सकता है /

(2) ऐसे आवेदन के साथ उक्त व्यक्ति एक सौ रुपए से अनधिक ऐसी धनराशि जमा कराएगा, जो सहायक रजिस्ट्रार उचित समझे।

(3) धारा 16 के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी से ऐसे आवेदन और जमाराशि या उस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सहायक रजिस्ट्रार विहित रीति से जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि साहूकार ऐसे कार्य या आचरण का दोषी है तो वह साहूकार की

अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है और उपधारा (2) के अधीन की गई जमाराशि वापस करने का निर्देश भी दे सकता है /

(4) यदि सहायक रजिस्ट्रार की राय में उपधारा (1) के अधीन किया गया आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है, तो वह उपधारा (2) के अधीन की गई जमा राशि में से साहूकार को प्रतिकर के रूप में वह रकम देने का निर्देश दे सकेगा, जिसे वह ठीक समझे।

(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन सहायक रजिस्ट्रार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको आदेश उसे *संसूचित किया जाता है, साठ दिन के भीतर और ऐसी फीस का भुगतान करने* पर, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर रजिस्ट्रार का आदेश अंतिम होगा।

14. [केन्द्रीय अधिनियम 36, 1936 की धारा 5 का कतिपय अपीलों पर लागू होना। [राजस्थान अधिनियम संख्या 6, 1993 द्वारा 9-12-1993 से प्रतिस्थापित।]

- सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 36) की धारा 5 के उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 8.9 और 13 के अधीन की गई सभी अपीलों पर लागू होंगे। उक्त अधिनियम की उक्त धारा के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार को न्यायालय समझा जाएगा।

15. रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और प्राधिकृत अधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी।

धारा 7, 13 और 16 के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और, जैसा भी मामला हो, धारा 16 के तहत अधिकृत अधिकारी के पास निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी और वे उनका प्रयोग कर सकते हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम V) के तहत सिविल कोर्ट में निहित हैं: -(ए) किसी व्यक्ति को उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना; (बी) दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं के उत्पादन को बाध्य करना; (सी) गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना; और (डी) शपथपत्र द्वारा तथ्यों का प्रमाण।

16. अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने की प्राधिकृत अधिकारी की शक्ति।

(1) यह सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए कि धन उधार देने का कारोबार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चलाया जा रहा है, कोई रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी धन उधारदाता या किसी व्यक्ति से, जिसके संबंध में रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह राज्य में धन उधार देने का कारोबार चला रहा है, अपने कब्जे में का कोई अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उस प्रयोजन के लिए सुसंगत है और तब ऐसा धन उधारदाता या व्यक्ति ऐसा अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(2) रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्तिगत सूचना के पश्चात्, किसी भी व्यक्तिगत समय पर किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा, जहां उसका विश्वास है कि ऐसा अभिलेख या दस्तावेज है और वह ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की व्याख्या या सत्यापन के लिए आवश्यक कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा।

17. लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की न्यायालय की शक्ति।

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी साहूकार के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश पारित करने वाला न्यायालय या ऐसे वाद का विचारण करने वाला न्यायालय, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साहूकार ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का ऐसा उल्लंघन किया है, जो उसकी राय में उसे साहूकारी का कारोबार करने के अयोग्य बनाता है, तो वह -(ए) यदि वह सक्षम न्यायालय है, तो उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित कर सकेगा; या (बी) यदि वह सक्षम न्यायालय नहीं है, तो अपनी राय दर्ज करेगा और कार्यवाही को उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय को भेजेगा जहां ऐसा न्यायालय आयोजित किया जाता है।

(2) सक्षम न्यायालय, जिसके समक्ष उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कार्यवाही प्रस्तुत की जाती है, यदि वह ठीक समझे, पक्षकारों की परीक्षा कर सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुला सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है, जिसने कार्यवाही में पहले ही साक्ष्य दे दिया है तथा आगे कोई साक्ष्य मांग सकता है और ले सकता है तथा मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई सक्षम न्यायालय या जिसके समक्ष उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही प्रस्तुत की जाती है, -(ए) आदेश दे सकेगी कि राज्य में उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी साहूकार द्वारा धारित सभी लाइसेंस ऐसे समय के लिए रद्द या निलंबित कर दिए जाएं, जैसा वह ठीक समझे, (बी) यदि वह ठीक समझे तो किसी ऐसे साहूकार को, या यदि ऐसा साहूकार अविभाजित हिन्दू परिवार है, कोई कंपनी या अनिगमित निकाय है तो ऐसे परिवार, कंपनी या निकाय को तथा ऐसे परिवार, कंपनी या निकाय द्वारा चलाए जा रहे साहूकारी के कारबार के प्रबंध के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति को भी, राज्य में कोई लाइसेंस रखने से उस समय के लिए निरहित कर सकेगी, जितनी अवधि के लिए न्यायालय ठीक समझे; परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश या घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को प्रस्तावित आदेश या घोषणा के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश पारित होने के नब्बे दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा; और वह सक्षम न्यायालय जिसने आदेश पारित किया था या अपील वाला उच्च न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, अपील का निपटारा होने तक इस धारा के अधीन आदेश के प्रवर्तन को रोक सकेगा।

(5) जहां कोई न्यायालय किसी साहूकार को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध करता है, या उपधारा (3) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश या घोषणा करता है, वहां वह दोषसिद्धि, आदेश या घोषणा की विशिष्टियां, यथास्थिति, दोषसिद्ध साहूकार या आदेश या घोषणा से प्रभावित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित सभी अनुज्ञप्तियों पर पृष्ठांकित कराएगा और आदेश या घोषणा की प्रतियां उस सहायक रजिस्ट्रार को भिजवाएगा, जिसके द्वारा अनुज्ञप्तियां रजिस्ट्रारों में ऐसी विशिष्टियां प्रविष्ट करने के प्रयोजनार्थ दी गई थीं।

(6) उपधारा (5) के अनुसार पृष्ठांकन के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित कोई अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति द्वारा, जिसके पास वह है, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, और कोई व्यक्ति, जो उचित कारण के बिना, अपेक्षित रूप से

अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करेगा, दोषसिद्धि पर, उस अवधि के प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच सौ रुपए से अधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(7) उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी अपील न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम न्यायालय" से जिला न्यायाधीश का न्यायालय या किसी क्षेत्र में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त पदाभिहित करे।

18. लाइसेंस के निलंबन या रद्दीकरण के लिए कोई मुआवजा नहीं।

- जहां कोई लाइसेंस इस अधिनियम के अधीन निलंबित या रद्द किया जाता है, वहां कोई भी व्यक्ति किसी प्रतिकर या लाइसेंस फीस की वापसी का हकदार नहीं होगा।

19. लाइसेंस के निलंबन या रद्दीकरण की अवधि के दौरान व्यवसाय करने से वंचित व्यक्ति।

- जिस व्यक्ति का लाइसेंस इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निलंबित या रद्द कर दिया गया है, वह निलंबन या रद्दीकरण की अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, राज्य में किसी भी लाइसेंस को रखने से अयोग्य हो जाएगा।

20. जिस व्यक्ति का लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया गया है, वह अनुमोदन या अयोग्यता का विवरण दिए बिना आवेदन नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति धारा 17 के अधीन पृष्ठांकित की गई है या जिसे अनुज्ञप्ति धारण करने से निरर्हित कर दिया गया है, ऐसे पृष्ठांकन या निरर्हता का विवरण दिए बिना अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन नहीं करेगा या अनुज्ञप्ति धारण करने का पात्र नहीं होगा।

21. लाइसेंस का उत्तराधिकारी को हस्तांतरण।

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति मृतक के नाम पर मौजूद लाइसेंस को अपने नाम पर स्थानांतरित करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा तथा उसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक वास्तव में मृतक का विधिक प्रतिनिधि है और वह इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अन्यथा पात्र है, तो वह आवेदक से विहित प्ररूप में घोषणा प्राप्त करने के पश्चात लाइसेंस को उसके नाम पर अंतरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन हस्तांतरित कोई लाइसेंस आवेदक को ही प्रदान किया गया समझा जाएगा और वह उस अवधि के लिए वैध होगा जिस अवधि के लिए वह वैध होता यदि लाइसेंस हस्तांतरित न किया गया होता और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

22. साहूकारों का लेखा रखने और उसकी प्रतिलिपियाँ देने का कर्तव्य।

(1) प्रत्येक साहूकार एक रोकड़ बही, एक खाता बही और एक रसीद बही ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखेगा और बनाए रखेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक साहूकार, (ए) निर्धारित तरीके से वितरित करना या वितरित करवाना- (मैं) ऋण दिए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर ऋणी को निर्धारित प्रपत्र में और किसी मान्यताप्राप्त भाषा में एक विवरण देना होगा जिसमें स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में ऋण की राशि और तारीख तथा उसकी परिपक्वता, ऋण के लिए प्रतिभूति की प्रकृति, यदि कोई हो, ऋणी और साहूकार का नाम और पता तथा उस पर ब्याज की दर और ऐसे अन्य विवरण, जो निर्धारित किए जाएं, दर्शाए गए हों: परन्तु ऐसा कोई विवरण ऋणी को देने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उसे साहूकार द्वारा पास-बुक दी गई है जो विहित प्ररूप में होगी तथा जिसमें ऋणी के साथ लेन-देन का अद्यतन लेखा होगा; (ii) उक्त अवधि के भीतर सहायक रजिस्ट्रार को उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट विवरण सहित एक विवरण प्रस्तुत करना होगा; (बी) ऋण की पूर्ण अदायगी के पश्चात, ऋणी द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक कागज पर भुगतान या निरस्तीकरण को दर्शाने वाले शब्दों को अमिट रूप से अंकित करें, तथा प्रत्येक बंधक का उन्मोचन करें, प्रत्येक गिरवी को बहाल करें, प्रत्येक नोट को वापस करें तथा ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणी द्वारा दिए गए प्रत्येक समनुदेशन को रद्द या पुनः समनुदित करें।

(3) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा, आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसे वर्ग के साहूकारों को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, सहायक रजिस्ट्रार को एक विवरण देने या दिलाने की अनुमति दे सकेगी, जिसमें उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट विशिष्टियां होंगी, जो आदेश में विनिर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी अवधि के दौरान दिए गए सभी ऋणों के संबंध में होंगी, और ऐसे आदेश के जारी होने पर, कोई साहूकार, जो इस उपधारा में उपबंधित आवधिक विवरण देने का चुनाव करता है, उसे पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर देगा या दिलाएगा।

(4) कोई भी साहूकार किसी ऋणी से किसी ऋण के संबंध में कोई भुगतान निर्धारित प्रपत्र में स्पष्ट एवं पूर्ण रसीद दिए बिना प्राप्त नहीं करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए रखी गई रसीद के प्रतिपत्र पर ऋणी के हस्ताक्षर लेगा।

(5) कोई भी साहूकार किसी ऋणी से ऋण के लिए गिरवी, गिरवी या प्रतिभूति के रूप में कोई भुगतान तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि उसे उसके विवरण, अनुमानित मूल्य, उसके विरुद्ध दिए गए ऋण की राशि और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं, के साथ एक सादी हस्ताक्षरित रसीद न दी जाए। ऐसे साहूकार ऐसी रसीदों की प्रतियाँ एक अलग रजिस्टर में रखेंगे।

23. साहूकार द्वारा लेखा विवरण और उसकी प्रतियां प्रदान करना।

(1) प्रत्येक साहूकार अपने प्रत्येक देनदार को प्रतिवर्ष अपने देनदार के खाते का एक सुपाठ्य विवरण देगा या दिलवाएगा, जिस पर उस देनदार के विरुद्ध बकाया किसी रकम का विवरण साहूकार या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित होगा। विवरण में यह दर्शाया जाएगा- (मैं) वर्ष के प्रारम्भ में साहूकार को देय मूलधन की रकम, ब्याज की रकम तथा धारा 24 में निर्दिष्ट फीस की रकम, पृथक्-पृथक्; (ii) वर्ष के दौरान दिए गए ऋण की कुल राशि; (iii) वर्ष के दौरान प्राप्त पुनर्भुगतान की कुल राशि; तथा (चतुर्थ) वर्ष के अंत में देय मूलधन और ब्याज की राशि। यह विवरण साहूकार या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा किसी मान्यता प्राप्त भाषा में होगा। यह ऐसे प्रारूप में होगा तथा ऋणी को निर्धारित तिथि को या उससे पहले दिया जाएगा। साहूकार, पूर्वोक्त तारीख को या उसके पूर्व, ऐसे प्रत्येक कथन की एक प्रति सहायक रजिस्ट्रार को सौंपेगा या सौंपवाएगा, साथ ही यह पुष्टि करते हुए अपना शपथपत्र भी दाखिल

करेगा कि उसने धारा 29 के अधीन और उसके अनुसार निर्धारित दर पर ऋण की राशि पर ब्याज लिया है /

(2) किसी विशिष्ट ऋण के संबंध में, चाहे वह इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले दिया गया हो या उसके बाद, साहूकार ऋण या उसके किसी भाग का पुनर्भुगतान न किए जाने की अवधि के दौरान किसी भी समय ऋणी द्वारा लिखित में मांग किए जाने पर और विहित फीस के भुगतान पर ऋणी को या यदि ऋणी ऐसी मांग करता है तो मांग में उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, किसी मान्यताप्राप्त भाषा में, साहूकार या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सुसंगत विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए एक कथन देगा:

(3) कोई साहूकार, ऋणी द्वारा लिखित रूप में मांग किए जाने पर और निर्धारित व्यय राशि प्रस्तुत किए जाने पर, उसके द्वारा लिए गए ऋण या उसके लिए किसी प्रतिभूति से संबंधित किसी दस्तावेज की एक प्रति ऋणी को देगा, या यदि ऋणी ऐसी मांग करे तो मांग में उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को देगा।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, "वर्ष" से वह वर्ष अभिप्रेत है जिसके लिए साहूकार के खाते सामान्यतः उसकी अपनी पुस्तकों में रखे जाते हैं।

24. देनदार और सहायक रजिस्ट्रार को दिए गए कुछ विवरणों के लिए फीस।

(1) कोई साहूकार, धारा 22 की उपधारा (2) या उपधारा (3) या धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन ऋणी और सहायक रजिस्ट्रार को दिए गए विवरणों के लिए ऋणी से फीस वसूल कर सकेगा।

(2) ऐसी फीस ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से वसूली जा सकेगी, जैसा कि विहित किया जाए, तथा प्रति देनदार प्रति वर्ष अधिकतम दो रुपए तक वसूली जा सकेगी, चाहे प्रासंगिक वर्ष के दौरान देनदार या सहायक रजिस्ट्रार को कितनी भी संख्या में विवरण दिए गए हों।

25. देनदार खातों की शुद्धता को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

- वह ऋणी, जिसे धारा 22 के अधीन लेखा विवरण या पास बुक दी गई है, उसकी सत्यता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं होगा और ऐसा करने में उसकी असफलता को, अपने आप में, लेखाओं की सत्यता की स्वीकृति नहीं माना जाएगा।

26. ऋण संबंधी वादों में न्यायालय की प्रक्रिया।

- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे वाद में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है- (ए) न्यायालय, दावे का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने से पहले, इस मुद्दे को तैयार करेगा और तय करेगा कि क्या साहूकार ने धारा 22 और धारा 23 के प्रावधानों का अनुपालन किया है; (बी) यदि न्यायालय पाता है कि दावे के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में धारा 22 और धारा 23 के उपबन्धों का साहूकार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, तो वह उसे खारिज कर देगा- [राजस्थान अधिनियम संख्या 13 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित] (मैं) संपूर्ण वाद का खर्च वहन करना होगा, जहां ऐसा उल्लंघन वाद में संपूर्ण दावे के संबंध में किया गया हो; या (ii) दावे का वह भाग तथा उसके अनुपातिक खर्च जिसके संबंध में साहूकार द्वारा उक्त उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया है।] - स्पष्टीकरण.- कोई साहूकार जिसने निर्धारित प्ररूप और रीति में रसीद दी है या लेखा विवरण या पास बुक प्रस्तुत की है, किसी त्रुटि या लोप के बावजूद, यथास्थिति, धारा 22 या धारा 23 के उपबन्धों का अनुपालन करता

हुआ माना जाएगा, यदि न्यायालय पाता है कि ऐसी त्रुटियाँ और लोप तात्विक नहीं हैं या कपटपूर्वक नहीं की गई हैं।

27. ऋणों पर वसूली योग्य ब्याज की अधिकतम राशि तथा कुछ मामलों में ऋणों का उन्मोचन। [राजस्थान अधिनियम संख्या 13 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।]

(1) कोई भी साहूकार अपने द्वारा दिए गए किसी अग्रिम ऋण के संबंध में ब्याज के रूप में मूलधन की राशि से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(2) कोई ऋण जिसके संबंध में साहूकार ने ऋणी से मूलधन की राशि के दोगुने के बराबर या उससे अधिक राशि वसूल कर ली है, उन्मोचित हो जाएगा और ऋण की राशि के दोगुने से अधिक राशि, यदि कोई हो, साहूकार द्वारा ऋणी को वापस कर दी जाएगी: परन्तु यदि ऐसी अधिक राशि राजस्थान साहूकार (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष के पूर्व वसूल कर ली गई हो तो कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।]

28. डिक्रीटल राशि का किशतों में भुगतान करने का निर्देश देने की न्यायालय की शक्ति।

- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम V) में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय किसी भी समय, निर्णीत-ऋणी के आवेदन पर, डिक्रीधारक को नोटिस देने के पश्चात् यह निर्देश दे सकेगा कि उसके विरुद्ध पारित किसी डिक्री की रकम, चाहे उस तारीख से पूर्व या पश्चात् जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, ऋण के संबंध में ऐसी संख्या में किशतों में और ऐसी शर्तों के अधीन, तथा ऐसी तारीखों को संदेय होगी, जो निर्णीत-ऋणी की परिस्थितियों और डिक्री की रकम को ध्यान में रखते हुए वह ठीक समझे: परन्तु इस धारा की कोई बात उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश XXXIV के अधीन पारित डिक्री को लागू नहीं होगी।

29. ब्याज दरों पर सीमा.

(1) राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों के संबंध में धन उधार देने के किसी भी वर्ग के व्यवसाय के लिए साधारण ब्याज की अधिकतम दरें निर्धारित कर सकती है।

(2) कोई भी साहूकार किसी ऋणी से उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पर ब्याज नहीं लेगा या प्राप्त नहीं करेगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम दरों से अधिक दरों पर ब्याज के संदाय के लिए साहूकार और ऋणी के बीच कोई करार वैध नहीं होगा और कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, उक्त दरों से अधिक ब्याज नहीं दिलाएगा।

(4) यदि कोई साहूकार किसी ऋणी से उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम दर से अधिक दर पर ब्याज लेता है या प्राप्त करता है, तो धारा 40 के प्रयोजनार्थ यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

30. साहूकारों द्वारा ऋण पर व्यय हेतु प्रभार लगाने का प्रतिषेध।

- कोई भी साहूकार किसी देनदार या देनदार बनने के इच्छुक व्यक्ति से संपत्ति के स्वामित्व की जांच की उचित लागत, स्टांप की लागत, दस्तावेजों के पंजीकरण और अन्य सामान्य जेब से किए जाने वाले खर्चों के अलावा कोई अन्य राशि प्राप्त नहीं करेगा, उन मामलों में जहां पक्षों के बीच

एक समझौते में यह शर्त शामिल है कि संपत्ति को सुरक्षा के रूप में या बंधक के रूप में दिया जाना है और जहां दोनों पक्ष ऐसी लागतों और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए सहमत हैं, या जहां ऐसी लागतें, प्रभार या व्यय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (1882 का केंद्रीय अधिनियम IV) या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत लगाए जाने योग्य हैं।

31. ऋणों के समनुदेशन पर दी जाने वाली सूचना और नोटिस।

(1) जहां कोई ऋण, चाहे उस तारीख से पहले या बाद में दिया गया हो, जिस तारीख को अधिनियम लागू होता है, या ऐसे ऋण पर कोई ब्याज या ऐसे ऋण या ब्याज के संबंध में किए गए किसी करार या ली गई प्रतिभूति का लाभ किसी समनुदेशिनी को सौंपा जाता है, वहां समनुदेशक (चाहे वह वह साहूकार हो, जिसने धन उधार दिया था या कोई व्यक्ति हो, जिसे ऋण पहले ही सौंपा जा चुका है), समनुदेशिनी के सौंपे जाने से पूर्व-(ए) समनुदेशिनी को लिखित में सूचना देना कि ऋण, ब्याज, करार या प्रतिभूति इस अधिनियम के प्रवर्तन से प्रभावित है, (बी) समनुदेशिनी को इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना, तथा (सी) ऋणी को असाइनमेंट की लिखित सूचना दें, जिसमें असाइनी का नाम और पता दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो उल्लंघन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो।

32. समनुदेशिनी के संबंध में अधिनियम का लागू होना।

(1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, जहां किसी साहूकार को उसके द्वारा उधार दिए गए धन के संबंध में, चाहे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व या पश्चात्, या इस प्रकार उधार दिए गए धन पर ब्याज के संबंध में, या किसी ऐसे ऋण या ब्याज के संबंध में किए गए किसी करार या ली गई प्रतिभूति के लाभ के संबंध में, कोई ऋण समनुदेशित कर दिया गया है, वहां समनुदेशिनी साहूकार समझा जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे समनुदेशिनी पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह साहूकार हो।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कारणवश ऐसा कोई समनुदेशन अवैध है और ऋणी ने किसी ऐसे ऋण के कारण, जो इस प्रकार समनुदेशित किया गया है, धन का कोई संदाय या संपत्ति का अंतरण किया है, वहां समनुदेशिनी ऐसे संदाय या अंतरण के संबंध में इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए साहूकार का अभिकर्ता समझा जाएगा।

33. पहले से किए गए लेन-देन या खातों को पुनः खोलना।

- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय किसी ऐसे वाद में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, चाहे एकपक्षीय रूप से या अन्यथा सुनवाई की जाए, (ए) पक्षों के बीच पहले से हुए किसी लेनदेन या खाते को पुनः खोलना: (बी) पक्षों के बीच हिसाब-किताब रखना; (सी) किसी भी अत्यधिक ब्याज के संबंध में देनदार से ली जाने वाली राशि को कम करना; (डी) यदि लेखा लेने पर यह पाया जाता है कि साहूकार ने उससे अधिक राशि प्राप्त कर ली है जो उसे देय है, तो ऐसी राशि के संबंध में ऋणी के पक्ष में डिक्री पारित कर सकेगा: बशर्ते कि इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा- (मैं) किसी भी समायोजन या समझौते को फिर से खोलना जिसका उद्देश्य पिछले लेन-देन को बंद करना और

नए दायित्वों का निर्माण करना है जो पक्षकारों या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके माध्यम से वे दावा करते हैं, मुकदमे की तारीख से छह वर्ष से अधिक समय पहले किए गए हैं;⁽ⁱⁱ⁾ ऐसा कुछ भी न करें जो न्यायालय के किसी आदेश पर प्रभाव डाले। स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए "अत्यधिक ब्याज" से ऐसी दर पर ब्याज अभिप्रेत है जो धारा 29 के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है।

34. देनदार द्वारा हिसाब लेने के लिए न्यायालय में आवेदन।

- (1) कोई भी ऋणी किसी भी समय न्यायालय में आवेदन कर सकता है, चाहे ऋण देय हो या न हो, लेखा लेने तथा साहूकार को देय राशि घोषित करने के लिए।
- (2) ऐसा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में होगा तथा उसके साथ निर्धारित शुल्क भी संलग्न होगा।
- (3) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर न्यायालय, साहूकार को आवेदन की सूचना देगा।
- (4) आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या ऐसी तारीख को, जिसके लिए सुनवाई समय-समय पर स्थगित की जा सके, न्यायालय जांच करेगा और पक्षकारों के बीच हुए लेन-देन का लेखा-जोखा लेने के पश्चात् एक आदेश पारित करेगा जिसमें ऋणी द्वारा साहूकार को मूलधन और ब्याज, यदि कोई हो, के संबंध में अभी भी देय राशि की घोषणा की जाएगी।
- (5) इस धारा के अंतर्गत लेखा लेते समय न्यायालय धारा 22 से 33 तथा धारा 36 के उपबंधों का पालन करेगा।

35. साहूकार को देय धनराशि न्यायालय में जमा कराना।

- (1) किसी भी समय कोई ऋणी किसी साहूकार को कोई धनराशि दे सकता है जो उसे ऋण के संबंध में मूलधन, ब्याज या दोनों के रूप में साहूकार को देनी है या वह धनराशि मनीऑर्डर द्वारा उसे भेज सकता है।
- (2) यदि साहूकार इस प्रकार प्रस्तुत या प्रेषित किसी राशि को स्वीकार करने से इंकार कर देता है, तो ऋणी उक्त राशि को न्यायालय में साहूकार के खाते में जमा करा सकता है।
- (3) न्यायालय तत्पश्चात् धन जमा की लिखित सूचना साहूकार को तामील कराएगा और वह वादपत्र के सत्यापन के लिए उपबंधित रीति से सत्यापित याचिका प्रस्तुत करने पर, जिसमें ऋण के संबंध में देय राशि तथा इस प्रकार जमा किए गए धन को स्वीकार करने की अपनी इच्छा का कथन होगा, उसे प्राप्त कर सकेगा और उसे सर्वप्रथम ब्याज के लिए तथा शेष राशि को, यदि कोई हो, मूलधन के लिए विनियोग कर सकेगा; परन्तु इस धारा के अधीन जमा की गई किसी धनराशि को स्वीकार करने में, साहूकार, उसे जमा करते समय ऋणी द्वारा दिए गए किसी कथन से आबद्ध नहीं होगा।
- (4) उपधारा (2) के अधीन किया गया निक्षेप, उसी रीति से और उसी सीमा तक, इस प्रकार निक्षेपित रकम के लिए उन्मोचन के रूप में कार्य करेगा मानो वह रकम उस साहूकार द्वारा, जिसके खाते में निक्षेप किया गया था, ऐसे निक्षेप की तारीख को प्राप्त कर ली गई हो।

36. जब पूरे महीने के लिए ब्याज का भुगतान किया जाना है।

- पक्षकारों के बीच किसी करार या किसी समय प्रवृत्त विधि के होते हुए भी, जब किसी ऋणी को धारा 22 के अधीन कोई विवरण दिया जाता है या पास बुक दी जाती है या यदि धारा 34 के अधीन लेखा लिया जाता है या ऋणी द्वारा धारा 35 के अधीन किसी ऋण के संबंध में किसी साहूकार को कैलेंडर मास के दसवें दिन के पूर्व कोई निविदा या धन प्रेषण किया जाता है, तो

देय ब्याज की गणना उक्त मास के पंद्रह दिनों के लिए देय के रूप में की जाएगी और यदि विवरण दिया जाता है या पास बुक दी जाती है या लेखा लिया जाता है या निविदा या धन प्रेषण किसी पश्चातवर्ती दिन किया जाता है, तो संपूर्ण कैलेंडर मास के लिए, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि ऐसा विवरण दिया जाता है या पास बुक दी जाती है या ऐसे लेखा लिए जाते हैं या ऐसी निविदा या धन प्रेषण किसी ऐसे दिन किया जाता है।

37. साहूकारों को दुकानों पर अपना नाम प्रदर्शित करना होगा।

- [(1)] [राजस्थान अधिनियम संख्या 6 सन् 1993 द्वारा 9-12-1993 से पुनः संख्यांकित] प्रत्येक साहूकार अपनी दुकान या कारबार के स्थान पर हिन्दी में देवनागरी लिपि में अपना नाम साहूकार शब्द सहित तथा अपनी अनुज्ञप्ति का क्रमांक सदैव प्रदर्शित रखेगा।

(2) यदि साहूकार उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर देने के पश्चात् उस पर 250/- रुपये तक का जुर्माना लगा सकेगा और यदि जुर्माना इस प्रयोजन के लिए नियत समय के भीतर अदा नहीं किया जाता है तो अनुज्ञापन रद्द कर सकेगा। [राजस्थान अधिनियम संख्या 6 सन् 1993 द्वारा 9-12-1993 से अंतःस्थापित]।

38. बांड आदि में गलत राशि दर्ज करना अपराध होगा।

(1) कोई भी साहूकार कोई वचन पत्र, पावती, बांड या अन्य लिखित दस्तावेज नहीं लेगा जिसमें ऋण की वास्तविक राशि नहीं बताई गई हो या जिसमें राशि गलत बताई गई हो या किसी ऋणी से कोई ऐसा लिखत नहीं लेगा जिसमें निष्पादन के बाद भरने के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया हो।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, दोषसिद्धि पर, उसे एक हजार रुपए तक का जुर्माना या छह माह तक का कारावास या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

39. छेड़छाड़ के लिए दंड.

- जो कोई किसी ऋणदाता को उसके द्वारा देय ऋण की वसूली के लिए ऋणी को परेशान करेगा या परेशान करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, दोषसिद्धि पर, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने से, जिसे करने का उसे अधिकार है, विरत कराने के आशय से, या कोई ऐसा कार्य करने के लिए विरत कराने के आशय से, जिसे करने से विरत रहने का उसे अधिकार है, (ए) ऐसे अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा डालता है या हिंसा का प्रयोग करता है या उसे डराता है, या (बी) ऐसे अन्य व्यक्ति का लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीछा करता है या उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी संपत्ति में हस्तक्षेप करता है या उसे उसके उपयोग से वंचित करता है या उसमें बाधा डालता है, या (सी) किसी घर या अन्य स्थान के पास घूमता है जहां ऐसा अन्य व्यक्ति रहता है या काम करता है या व्यवसाय करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति को परेशान करने या डराने के लिए कोई कार्य करता है, ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए माना जाएगा: परन्तु कोई व्यक्ति जो केवल सूचना प्राप्त करने या संप्रेषित करने के लिए ऐसे घर या स्थान पर जाता है, उसे छेड़छाड़ करने वाला नहीं माना जाएगा।

40. [कुछ धाराओं और नियमों के उल्लंघन के लिए दंड। [राजस्थान अधिनियम संख्या 6, 1993 द्वारा प्रतिस्थापित, 9-12-1993 से]]

जो कोई धारा 5,21,22,23,29,30 और 37 में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में से किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उसके उल्लंघन में कार्य करेगा, वह दोषसिद्धि पर दण्डनीय होगा-(ए) प्रथम अपराध के लिए दो हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा; तथा (बी) दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए पांच हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा।]

41. निगम आदि द्वारा अपराध

यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अविभाजित हिन्दू परिवार या कंपनी या असमाविष्ट निकाय है, तो ऐसे परिवार, कंपनी या निकाय के कारबार के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा।

42. कुछ अपराधों का संज्ञान।

- [(1)] [राजस्थान अधिनियम सं. 6, 1993 द्वारा 9-12-1993 से पुनः संख्यांकित]] कोई भी न्यायालय धारा 22 या 23 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर धारा 40 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लेगा।

(2) [तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन संज्ञेय अपराध होगा।] [4 राजस्थान अधिनियम संख्या 6, 1993 द्वारा 9-12-1993 से अंतःस्थापित]]

43. अपराधों का शमन।

(1) [उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नीचे दी गई सारणी के प्रथम दो स्तंभों में विनिर्दिष्ट विभिन्न धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन उस सारणी के *तृतीय स्तंभ में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा:-* मेज़

अपराध	धारा लागू	वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन
बिना रसीद के भुगतान प्राप्त करना या किसी भी वस्तु को गिरवी, गिरवी या ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में स्वीकार करना बिना सादा हस्ताक्षरित रसीद दिए।	22(4) और (5), 40	वह देनदार जिसके द्वारा या जिसकी ओर रखा गया वह वस्तु किसके द्वारा बनाई गई है या रखी गई है, गिरवी रखी गई है या दी गई है
किसी दर पर ब्याज लेना या प्राप्त करना उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम दरों से अधिक धारा 29.	29, 40	वह ऋणी जिससे ब्याज लिया जाता है या प्र
साहूकारों द्वारा ऋण पर व्यय के लिए कोई राशि वसूलना।	30, 40	वह देनदार जिससे ऋण पर व्यय के लिए व है आरोपित.
बांड आदि में गलत राशि दर्ज करना।	38	वह ऋणी जिससे दस्तावेज लिये गये हैं।
[xxx] [राजस्थान अधिनियम संख्या 6, 1993 द्वारा 9-12-1993 से हटा दिया गया।]		

(2) नीचे निर्दिष्ट धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों का शमन किया जा सकता है, बशर्ते कि अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति रजिस्ट्रार को नीचे उल्लिखित राशि से अधिक शमन शुल्क का भुगतान न करे:-

(i) धारा 5 के अंतर्गत अपराध

(ii) धारा 22 की उपधारा (2),(4) और (5) के अंतर्गत अपराध और धारा 23

(iii) धारा 29 के अंतर्गत अपराध

(iv) धारा 30 के अंतर्गत अपराध

(v) धारा 38 के तहत अपराध

[राजस्थान अधिनियम संख्या 6 सन् 1993 द्वारा 9-12-1993 से प्रतिस्थापित] (3) इस धारा के अधीन किसी अपराध का शमन, उस अभियुक्त को दोषमुक्त करने के समान होगा जिसके साथ अपराध का शमन किया गया है।

44. कृषि ऋणियों के विरुद्ध धन संबंधी डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तारी और कारावास का प्रावधान समाप्त किया गया।

- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी, किसी ऋणी को, जो व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करता है और जिसका ऋण पन्द्रह हजार रुपए से अधिक नहीं है, किसी साहूकार के पक्ष में पारित धन संबंधी डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार या कारावास नहीं किया जाएगा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व हो या पश्चात्। स्पष्टीकरण.- "व्यक्तिगत रूप से खेती करना" का वही अर्थ है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, 1955) की धारा 5 के खण्ड (25) द्वारा दिया गया है।

45. प्रत्येक अधिकारी का लोक सेवक होना।

- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य करने वाला राज्य सरकार का प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम XLV) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

46. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति को संरक्षण।

सद्भावपूर्वक की गई या इस अधिनियम के अधीन किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कार्यवाही नहीं की जाएगी।

47. राजस्थान अधिनियम 28, 1957 के उपबंध संरक्षित।

- इस अधिनियम की कोई बात राजस्थान कृषि ऋण मुक्ति अधिनियम, 1957 (राजस्थान अधिनियम 28, 1957) के किसी उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी तथा कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी ऋण से संबंधित किसी वाद या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा या कार्यवाही नहीं करेगा, जिसके संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

48. नियम बनाने की शक्ति।

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे:-(ए) धारा 4 के अंतर्गत रजिस्टर का प्रारूप;(बी) धारा 6 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्रारूप, उसमें सम्मिलित की जाने वाली अतिरिक्त विशिष्टियां तथा अनुज्ञप्ति फीस के संदाय की रीति;(सी) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप तथा उसमें सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विवरण;(डी) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति प्राप्त करने की रीति और संदत्त की जाने वाली फीस;(इ) धारा 8 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन आवेदन का प्रारूप तथा संदत्त की जाने वाली फीस;(एफ) लाइसेंस का प्रारूप और शर्तें, लाइसेंस फीस के भुगतान का तरीका और धारा 7 के तहत जांच का तरीका;(जी) धारा 21 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्रारूप और उसमें अंतर्विष्ट विशिष्टियां तथा घोषणा का प्रारूप;(एच) उपधारा (1) के अधीन रोकड़ बही और खाता बही का प्रारूप तथा वह रीति, जिससे उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए, तथा धारा 22 की उपधारा (5) के अधीन विहित की जाने वाली अन्य विशिष्टियां;(मै) वह रीति और प्रारूप जिसमें धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन विवरण सहायक रजिस्ट्रार को दिया जा सकेगा तथा उसमें बताई जाने वाली अन्य विशिष्टियां;(जे) धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (क) के भाग (i) के परन्तुक के अधीन साहूकार द्वारा दी जाने वाली पास-बुक का प्रारूप;(क) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले लेखा विवरण का प्रारूप और वह तारीख जिसके पूर्व उसे प्रस्तुत किया जाना है तथा धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन भुगतान किए जाने वाले व्ययों की राशि;(एल) धारा 24 के अधीन फीस वसूल करने की दरें और तरीका;(एम) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्रारूप और भुगतान की जाने वाली फीस;(एन) वे दरें जिन पर और जिस रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी आवेदन, जांच या अपील के अभिलेख में दस्तावेजों की प्रतियां सहायक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या महारजिस्ट्रार द्वारा प्रदान करने के लिए फीस का भुगतान किया जा सकेगा और वे व्यक्ति जिनको ऐसी प्रतियां प्रदान की जा सकेंगी;(ओ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जा सकता है या कोई विषय जिसके लिए इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है या उपबंध अपर्याप्त है और जिसके लिए उपबंध, राज्य सरकार की राय में, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। (4) इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो क्रमिक सत्रों में पूरी होगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वे रखे गए हों, अथवा उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, राज्य विधान-मंडल का सदन ऐसे नियमों में कोई परिवर्तन करता है अथवा संकल्प करता है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो ऐसा नियम तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, तथापि ऐसा कोई परिवर्तन अथवा निष्प्रभावन उसके अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

49. निरसन।

- इस अधिनियम के लागू होने पर राज्य के किसी भी भाग में लागू सभी तत्स्थानी कानून निरसित हो जाएंगे: बशर्ते कि ऐसे निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर न होगा-(ए) इस प्रकार निरसित

किसी अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात: या(बी) किसी भी ऐसे अधिनियम के तहत अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार दायित्व या देयता; या(सी) इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई जुर्माना, जब्ती या दंड; या(डी) उपर्युक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दंड, जब्ती या सजा के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय: (इ) और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या लागू किया जा सकेगा, और ऐसा कोई जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो: आगे यह भी प्रावधान है कि, पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन रहते हुए, इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई (जिसके अंतर्गत नियम, बनाए गए प्रत्यायोजन और प्राधिकार, रखे गए रजिस्टर, दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र और लाइसेंस तथा जारी की गई अधिसूचनाएं हैं) जहां तक वह इस अधिनियम के किसी उपबंध से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के समतुल्य उपबंध के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक लागू रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा उसमें परिवर्तन, संशोधन या उसका स्थान नहीं ले लिया जाता। अनुसूची (अनुभाग 8 देखें) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम XLV) की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध, अर्थात्: - धारा 379 से 382, 384 से 389, 392 से 404, 406, 411 से 414, 417 से 424, 450 (चोरी करने के इरादे से), 455, 457 (चोरी करने के इरादे से) 458 से 462, 465, 477 और 477 ए। राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अंक 1) सूचनाएं धारा 2 [दिनांक 3-2-1986, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग 4-सी (अतिरिक्त) दिनांक 13-2-1986 में प्रकाशित। पृष्ठ 381] - एसओ 185 - राजस्थान धन उधारदाता (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (अध्यादेश संख्या 13, 1985) की धारा 2 के खण्ड (10) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत निगमित कम्पनी आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड को इस अधिनियम के उपबन्धों से छूट देती है। [दिनांक 22-4-1991, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग 4-सी (अतिरिक्त) दिनांक 29-4-1991, पृष्ठ 61 में प्रकाशित] - SO 60 - राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का 1) की धारा 2 के खण्ड (10) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, केन फिन होम्स लिमिटेड, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत निगमित कम्पनी है, को इस अधिनियम के उपबन्धों से छूट देती है। [दिनांक 30-10-1992, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग 4-सी, दिनांक 17-12-1992 में प्रकाशित। पृष्ठ 372] - एसओ 193 - राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का 1) की धारा 2 के खण्ड (10) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है, को दिए गए या दिए जाने वाले सभी ऋणों के सम्बन्ध में उपरोक्त अधिनियम के उपबन्धों से छूट देती है। धारा 3 [दिनांक 25-8-1965, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग 4-सी (अतिरिक्त) दिनांक 1-9-1965 में प्रकाशित] - राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का सं. 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, संपूर्ण

राजस्थान राज्य के लिए महासाहूकार रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को नियुक्त करती है तथा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर के क्षेत्रों के लिए उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को क्रमशः महासाहूकार रजिस्ट्रार नियुक्त करती है। यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1965 से प्रभावी होगी। नोट:- इस अधिसूचना के पश्चात राज्य सरकार ने समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों को रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया है, न केवल इस आधार पर कि वे कोई पद धारण करते हैं, बल्कि नाम से भी। [दिनांक 26-8-1976] - राज्य सरकार ने सभी अतिरिक्त कलेक्टरों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में साहूकारों का रजिस्ट्रार नियुक्त किया। [दिनांक 20-9-1975] - राज्य सरकार ने सभी उप-विभागीय अधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के लिए साहूकारों के सहायक रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया। [दिनांक 23-7-1984, राजपत्र भाग 1(का)(अतिरिक्त) दिनांक 26-7-1984, पृष्ठ 37 में प्रकाशित] - राज्य सरकार ने श्रीमती कृष्णा भटनागर, सदस्य राजस्थान राजस्व मंडल को सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए महासाहूकारों का रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। धारा 11 [दिनांक 19-2-1975, राजस्थान सरकार राजपत्र भाग 4-सी (अतिरिक्त) दिनांक 20-2-1975, पृष्ठ 233 में प्रकाशित] - एसओ 233 - अधिसूचना दिनांक 1-10-1965 के अधिक्रमण में, राज्य सरकार ने सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों के संबंध में धन-उधार के व्यवसाय के किसी भी वर्ग के लिए साधारण ब्याज की अधिकतम दर क्रमशः 11% और 14% वार्षिक निर्धारित की है।